

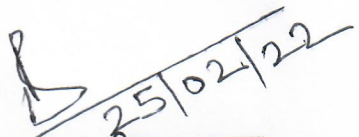
In,

The court of Sub-Judge 1st, Patna City
T.P.S.-66/97

25-02-2022

वादी की ओर से हाजरी दी गयी है वादी के विद्वान अधिवक्ता वाद में उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता अपने दाखिल आवेदन पत्र U/o-22 Rule-3 C.P.C. को संचालित कर निवेदन करते हैं कि इस वाद के वादी (1) की मृत्यु दिनांक 21-10-2020 को हो गई है। मृत वादी (1) के कानूनी वारिशानों का नाम वाद पत्र में पहले से वादी संख्या-2 से 6 के क्रम में है अतः केवल वादी (1) का नाम वाद पत्र से हटाने का आदेश दिया जाय।

वदी के विद्वान अधिवक्ता का सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि मृत वादी के मृत्यु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति दाखिल की गयी है। आवेदन पत्र पर प्रतिवादीगण द्वारा "No Objection" अंकित किया गया। वादी की ओर से दाखिल आवेदन पत्र शपथ युक्त है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन पत्र U/o-22 Rule-3 C.P.C. को स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन पत्र U/o-22 Rule-3 C.P.C. न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय वाद पत्र से वादी (1) का नाम हटावें। वाद दिनांक ०५.०५.२२ वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु।


अवर न्यायाधीश, प्रथम
पटना सिटी